राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नाथूलाल / लक्ष्मीनारायण 450/2018	
9.3.21	दिनांक 08/03/2021 को सार्वजनिक अवकाश घोषित होने से आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी/अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स प्रस्तुत किया, जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पृथक-पृथक जवाब वाद प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जवाब वाद के साथ काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया, जिसका वादी/अपीलान्ट्स द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। दौराने वाद प्रतिवादीगण की और से दिनांक 19/06/2008 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया, जिसका जवाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस पक्षकारान दिनांक 05/02/2009 को समायत की जाकर विस्तृत आदेश के माध्यम से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी निरस्त किया जाकर पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गयी, तत्तपश्चात दिनांक 20/12/2016 को पुनः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रतिवादी संख्या 3 की और से प्रस्तुत हुआ, जिसका जवाब वादी द्वारा दिये जाने पर पुनः बहस पक्षकारान बाबत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी दिनांक 05/05/2017 को समायत की जाकर विस्तुत आदेश के माध्यम से उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी ख़ारिज कर दिया गया एवं पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गयी। तत्तपश्चात पत्रावली कैम्प स्थल पर ली जाकर दिनांक 28/05/2018 को अन्तिम निर्णय पारित करते हुये वादी का वाद ख़ारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस के प्रारम्भ में हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र कि और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि वादीगण अपने पूर्वजो के समय से प्रशनगत आराजी पर निरन्तर 100 वर्षो से	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
400/2018	नाथूलाल / लक्ष्मीनारायण	

अधिक समय से काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे है | प्रशनगत आराजी का इन्द्राज दौराने सेटलमेंट प्रतिवादीगण के नाम गलत रूप से कर दिया गया, जिसे दुरुस्ती हेतु निरन्तर प्रतिवादीगण को वादीगण करते रहे किन्तु प्रतिवादीगण /रेस्पो. निरन्तर यह आश्वासन देते रहे की जब गावं का सेटलमेंट होगा तब दुरुस्ती उनके नाम हेतु करा दी जायेगी किन्तु अन्तत: प्रतिवादीगण द्वारा दुरुस्ती से ईन्कार हो जाने से वादीगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करना पड़ा | अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी 19/06/2008 की और आकर्षित करा कर बहस बहस में निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा वाद संधारणीय नही होने की आपत्ति उठाई गयी थी, जिस सन्दर्भ में दोनों पक्षों की प्रार्थना पत्र पर बहस समायत की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अंकित करते हुये की दावे में कब्जे का प्रश्न निहित है एवं दोनों ही पक्ष अपना-अपना कब्जा बता रहे है इसलिये दावे का अन्तिम निस्तारण तनकी कायम करके साक्ष्य सबूत के आधार पर करना उचित होगा, प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी ख़ारिज कर दिया गया | अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में आगे पुन: हमारा ध्यान प्रतिवादी संख्या 3 की और से दिनांक 20/12/2016 को पुन: एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुन: दोनों पक्षों की बहस सुनी जाकर अपने आदेश दिनांक 05/05/2017 के द्वारा प्रार्थना पत्र ख़ारिज कर दिया गया एवं पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत कर दी गयी | अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में आगे हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23/04/2018 की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त दिनांक तक वादी संख्या 2 की और से मात्र शपथ पत्र ही साक्ष्य के बतौर पेश किया जा सका था एवं वादी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 सी पी सी भी प्रस्तुत किया गया था जिसके

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कायम की गयी तनकीयात के सम्बन्ध में दुरुस्ती चाही गयी थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बगैर ही दिनांक 28/05/2018 को वाद का अन्तिम निस्तारण कर दिया गया। अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय दिनांक 28/05/2018 की ओर आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि उक्त आदेश में उक्त दिनांक को वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 की उपस्थिति दर्ज कि गयी है, उक्त निर्णय से स्पष्ट अंकित किया गया है कि वादी संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय को उक्त दिनांक को अवगत कराया था कि वादी संख्या 1 लकवे से ग्रसित होने के कारण उपस्थित नही हो सके है जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण में वादीगण की ओर से साक्ष्य सबूत भी पूर्णरूप से प्रस्तुत नही कि जा सकी थी एवं न ही वाद में कोई प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य सबूत प्रस्तुत हुये थे, न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दिनांक को दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दिनांक को ही बगैर साक्ष्य सबूत लिये एवं बगैर बहस सुने मनमाने तरीके से वादी का वाद ख़ारिज कर दिया, जो विधि के प्रावधानों के विरुद्ध होने से एवं वाद के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रक्रिया के विरुद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय ख़ारिज फरमाई जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को वाद में साक्ष्य सबूत लेकर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी की घोषणा एवं अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अधिकार प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया था, जो वाद संधारणीय नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित तौर पर ख़ारिज किया गया है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा विभिन्न माननीय न्यायालयों की नजीरे भी इस सन्दर्भ में प्रस्तुत की जाकर अधीनस्थ अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में हुई
450/2018	नाथूलाल / लक्ष्मीनारायण	

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को सही होना जाहिर करते हुये अपील अपीलार्थी ख़ारिज किये जाने का निवेदन किया |

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 3 की और से दिनांक 19/06/2008 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया था कि वादी द्वारा वाद के मद संख्या 5 में प्रशनगत आराजी सम्वत 2036 में 42010/- रूपये में बही में लिखावट के माध्यम से क्रय किये जाने का अंकन किया है, जिससे वाद वादी चलने योग्य नही होने से ख़ारिज फरमाया जावे | उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अंकित करते हुये की दावे में कब्जे का प्रश्न निहित है एवं दोनों ही पक्ष अपना-अपना कब्जा बता रहे है, अत: दावे का अन्तिम निस्तारण तनकी कायम करके साक्ष्य सबूत के आधार पर करना उचित होगा, तदनुसार प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी ख़ारिज कर दिया गया | तत्तपश्चात दिनांक 20/12/2016 को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा ही पुनः एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया, जिसे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05/05/2017 को दोनों पक्षों की बहस समायत की जाकर ख़ारिज कर दिया गया एवं पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गयी थी | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील दिनांक 28/05/2018 के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 3 मात्र ही उपस्थित हुये थे अर्थात उनकी और से कोई अभिभाषक उपस्थित नही थे | उक्त दिनांक को वादी संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह भी अवगत कराया गया था कि वाद के वादी संख्या 1 लकवे की बिमारी से ग्रसित है, जिसका तात्पर्य यही है की उक्त दिनांक को वादी संख्या 1 भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही थे | इससे पूर्व पेशी तक प्रकरण में पक्षकारान के साक्ष्य सबूत भी पूर्ण नही किये थे | उक्त आदेश के अवलोकन से यह भी स्थिति स्पष्ट है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/10/2018	नाथूलाल / 09/03/2021	

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बहस पक्षकारान भी नही सुनी गयी, जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रक्रिया को नही अपनाते हुये सरसरी तौर पर वाद का निस्तारण किया गया है यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के निस्तारण आदेश दिनांक 05/02/2009 में यह अंकित किया गया था कि दावे में कब्जे का प्रश्न निहित है एवं क्योकि दोनों ही पक्ष अपना-अपना कब्जा बता रहे है, दावे का अन्तिम निस्तारण तनकी कायम करके साक्ष्य सबूत के आधार पर करना उचित होगा किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील से पूर्व ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाया जाना भी प्रतीत नही होता है जो उचित प्रक्रिया नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28/05/2018 निरस्त किये जाते है तदनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारान से साक्ष्य सबूत लेकर एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिवत निर्णय पुन: पारित किया जावे | जहाँ तक अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा उद्धरित माननीय न्यायालयों की नजीरो का प्रश्न है, समस्त नजीर प्रकरण के गुणावगुण से सम्बन्धित होने से एवं इस न्यायालय द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर कोई परीक्षण नही किये जाने से रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के गुणावगुण पर परीक्षण के दौरान प्रस्तुत की जा सकती है|

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो|

निर्णय आज दिनांक 09/03/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया|

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर